

कार्यालय
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड
ऑडिट भवन,
कौलागढ़, देहरादून-248195



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL(A&E),
UTTARAKHAND
AUDIT BHAWAN,
KAULAGARH, DEHRADUN-248195

No. 10/GD/Disposal of obsolete items/2025-26/I/1283685/2026 Dated:21-01-2026

सेवा में,

वरिष्ठ लेखाधिकारी,
आईटीएसजी अनुभाग,
(स्थानीय)।

विषय: विस्तार निविदा सूचना को कार्यालय के वेबसाइट पर Upload करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार संलग्न विस्तार निविदा सूचना को कार्यालय की वेबसाइट <https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/en> पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न विस्तार निविदा सूचना को कार्यालय की वेबसाइट <https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/en> पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/सा0प्र0

कार्यालय
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड
ऑडिट भवन,
कौलागढ़, देहरादून-248195



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL(A&E), UTTARAKHAND
AUDIT BHAWAN,
KAULAGARH, DEHRADUN-248195

No. 10/GD/Disposal of obsolete items/2025-26/11

Dated: 20.01.2026

अप्रयोज्य फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों की विक्रय हेतु निविदा के विस्तार के सम्बन्ध में।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पुराने एवं अप्रयोज्य फर्नीचर सामग्रियों (Chairs, Tables, Racks, Almirah etc.) को जहां है, जैसे है के आधार पर निराकरण हेतु मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की गयी थी। सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार निविदा की अंतिम तिथि 20.01.2026 से दिनांक 28.01.2026 तक विस्तार किया गया है। शेष नियम व शर्तें यथावत हैं। जिनको दिनांक 27.01.2026 तक कार्यालय कार्य दिवसों में बिना किसी व्यय के कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून में भौतिक रूप में देखा जा सकता है। निविदा की विस्तृत विवरण कार्यालय की वेबसाइट <https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/en> से डाउनलोड किया जा सकता है। च

निविदायें इस कार्यालय में By hand या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 28.01.2026 (03:00 P.M) तक प्रेषित की जा सकती हैं। डाक से निविदा भेजने पर लिफाफे के ऊपर फर्नीचर सामग्रियों हेतु निविदा लिखना अनिवार्य है।

सक्षम प्राधिकारी किसी भी या सभी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

उप महालेखाकार/प्रशासन

अप्रयोज्य फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों के विक्रय हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें

1. निविदाकर्ता/फर्म नीलाम होने वाली फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों (Chairs, Tables, Racks, Almirah etc.) को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून में शनिवार एवं रविवार को छोड़कर कार्य दिवस अवधि में समय 03:00 P.M. से 05:00 P.M. बजे तक निरीक्षण कर सकते हैं। सामग्री को जहां है, जैसे है के आधार पर विक्रय किया जाना है।
2. सभी निविदाकर्ताओं को स्वयं निविदा से पूर्व सभी बिन्दुओं से संतुष्ट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जायेगा। इच्छुक निविदाकर्ता/फर्म सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं। सामग्रियों को यह मानकर विक्रय किया जायेगा कि निविदाकर्ताओं ने सामग्रियों का निरीक्षण कर लिया है तथा वह जानते हैं कि वह पूर्व में निरीक्षण किये सामग्री को क्रय कर रहे हैं।
3. निविदाकर्ता नीलामी योग्य सामग्री को भौतिक रूप से देखने के पश्चात् अपनी निविदा एक सीलबन्द लिफाफे में दिनांक **28.01.2026 (03:00 PM)** तक निम्न दस्तावेजों के साथ सामान्य प्रशासन अनुभाग में रखी निविदा बॉक्स/डाक अनुभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून में जमा करेंगे।
 - (i) निविदाकर्ता को रुपये 8,000/- की Earnest Money Deposit (EMD) का बैंक ड्राफ्ट, Pay and Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E) Uttarakhand, Payable at Dehradun के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
 - (ii) निविदाकर्ता भौतिक रूप से निरीक्षण में देखी गयी सामग्री को जहाँ है, जैसा है के आधार पर सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य, आंकलित/निर्धारित कर शब्दों तथा अंको में स्पष्ट रूप से लिखकर निविदाकर्ता/फर्म के नाम से हस्ताक्षरित कर सीलबन्द लिफाफे में कार्यालय के निविदा बॉक्स में डालेंगे।
 - (iii) निविदाकर्ता को Identity Verification हेतु अपना आधार कार्ड/पैन कार्ड/GST Reg. No. की पठनीय छायाप्रति सीलबन्द लिफाफे में अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
 - (iv) कार्यालय द्वारा इस निविदा के नियम एवं शर्तों के साथ संलग्न प्रपत्र (Annexure-I & II) में वांछित पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित स्पष्ट रूप से भरकर जमा करना होगा। वांछित विवरण पूर्ण नहीं पाये जाने पर निविदा को कार्यालय द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।
4. निविदायें दिनांक **28.01.2026 (04:00 P.M.)** को निविदाकर्ताओं के समक्ष चतुर्थ तल स्थित प्रशिक्षण कक्ष में नीलामी समिति द्वारा खोली जायेगी एवं समस्त कार्यवाही विभागीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में की जाएगी।
5. सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति आदेश निर्गत एवं प्राप्त होने के पश्चात् नीलाम की गई सामग्रियों को उठाने की अनुमति सफल उच्चतम बोलीदाता को दी जाएगी।

P.T.O.

6. सफल उच्चतम निविदा वाली फर्म/एजेंसी शेष धनराशि को 03 दिनों के भीतर नकद रूप में जमा करना होगा। यदि उच्चतम सफल निविदा वाली फर्म/एजेंसी शेष धनराशि समय सीमा के अंतर्गत जमा करने में असफल होती है तो ऐसी स्थिति में पहले की जमा धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।
7. अप्रयोज्य फर्नीचर सामग्रियों के विक्रय की अंतिम स्वीकृति वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ऑडिट भवन, कौलागढ़, देहरादून द्वारा प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त नीलाम की गयी सामग्रियों को उठाया जा सकेगा।
8. चूंकि नीलामी योग्य सामग्री कार्यालय स्थित भूतल के द्वितीय तल में रखी है, अतः सफल निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर वाहन द्वारा सामग्री को पूर्ण भुगतान के पश्चात् बिना क्षतिग्रस्त किये 05 दिनों के भीतर प्रातः 10:30 से सायं 05:00 बजे तक उठानी होगी। सायं 05:00 बजे के बाद निविदाकर्ता को कोई व्यक्ति/मजदूर तथा वाहन कार्यालय परिसर में नहीं रहेगा।
9. पूर्ण भुगतान प्राप्ति के बाद सामान्य प्रशासन अनुभाग सामग्री को कार्यालय परिसर से बाहर उठाने के लिए गेट पास जारी करेगा।
10. यदि सफल निविदाकर्ता इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो, सक्षम प्राधिकारी को निविदा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
11. सामग्रियों पर देय Municipal Dues, Excise, GST, TCS etc. यदि ऐसा आवश्यक है तो, क्रेता को इसका भुगतान करना पड़ेगा।
12. कार्यालय बिना कोई कारण बताए निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. उपरोक्त शर्तों के विषय में तथा तिथि स्थगित होने या बदलने एवं प्रक्रिया के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
14. फर्नीचर हटाने के दौरान अपने कामगारों को होने वाली किसी भी चोट के लिए ठेकेदार/विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।
15. किसी भी नाबालिग को कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
16. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन) को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्रक्रिया को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार कर सकता है और पुनः फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों (Chairs, Tables, Racks, Almirah etc.) के नीलामी की कार्यवाही कर सकता है।

3
22/01/24
वरिष्ठ लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन
22/01/24

Annexure-I

Eligibility Criteria for Disposal of old/obsolete/unserviceable items

We are Pleased to quote our rates against your enquiry no. 10/GD/Disposal of Obsolete Items/2025-26/..... Dated

Sl No.	Description	Information	
1	Name of the Firm/Agency/Company		
2	Address of the firm/Agency/Company (Enclose copy of address proof)		
3	Contact Details of the Firm/Agency	Telephone/Mobile No.	
		E-mail ID	
4	Other Details (Enclose copy)	PAN No.	
		GST Registration No.	

Date:-

Signature of Authorised Signatory with stamp

Name of the person

Annexure-II

Financial bid for disposal of old/obsolete/unserviceable items

TENDER NO:-

Name of the Bidder/Firm:-.....

Address of the Bidder/Firm:- :-.....

Telephone No.:- :-.....

Email ID:- :-.....

Total quoted amount for whole lot in figure (in Rs.)-

Total quoted amount for whole lot in words :-

The total price should be exclusive of all Misc. charges like transportation, labour or any other expenses etc.

I/We declared that I/my representative have inspected the obsolete items and am/are interested to purchase the same on "AS IS WHERE IS BASIS".

I/We have gone through the terms and conditions given in the tender document and agree with the same.

Date:-

Signature of Authorised Signatory with stamp

Name of the person